

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उपीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

राजस्थान जल समृद्ध परियोजनाएँ: जिनसे बन रहा है प्रदेश समृद्ध

राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ-साथ देश के सबसे जल-संकटग्रस्त प्रदेशों में भी गिना जाता है। यहाँ वर्षा अनियमित है, नदियाँ सीमित है, भूजल तेजी से गिर रहा है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेयजल तथा सिंचाई की चुनौती सदियों से बनी हुई है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बड़ी जल परियोजनाएँ केवल इंजीनियरिंग कार्य नहीं हैं, बल्कि ये कृषि, उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य और ग्रामीण जीवन को बदलने वाले विकास के साधन बन रही हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, अटल भूजल योजना तथा अमृत मिशन जैसी पहलें मिलकर राजस्थान को जल आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं।

राजस्थान की जल समस्या केवल पानी की कमी की समस्या नहीं है, बल्कि यह विकास की सबसे बड़ी बाधा भी है। जहाँ पानी नहीं होता, वहाँ फसल नहीं होती; जहाँ फसल नहीं होती, वहाँ किसान की आय नहीं बढ़ती; और जहाँ आय नहीं बढ़ती, वहाँ पलायन, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष बढ़ता है। इसीलिए जल परियोजनाओं का जलसेतु शामिल है। बांधों और पाइपलाइनों तक सीमित नहीं है। ये परियोजनाएँ गाँवों को रोजगार देती हैं, खेतों को हरियाली देती हैं, बच्चों को स्वस्थ जीवन देती हैं और महिलाओं को पानी लाने की मजबूरी से मुक्त करती हैं। इस दृष्टि से राजस्थान की जल परियोजनाएँ वास्तव में समग्र विकास की नींव हैं।

सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना राम जल सेतु लिंक परियोजना है, जिसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अर्थात ईआरसीपी के विस्तारित रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कृ्ो, पार्वती और कालीसिंध नदियों के अतिरिक्त जल को बनास, बाणगंगा, गंभीरी, रूपरेल तथा साबी नदी बेसिन तक पहुँचाना है। इससे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लगभग तीन करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही लगभग चार लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा विकसित होगी और औद्योगिक क्षेत्रों को भी जल दिया जाएगा। यह परियोजना राज्य की लगभग 40 प्रतिशत आबादी के जल भविष्य से जुड़ी है।

राम जल सेतु लिंक परियोजना की विशेषता यह है कि यह केवल एक नहर या एक बांध की परियोजना नहीं है, बल्कि यह राज्य के लिए एक एकीकृत जल डिाइन बनाने का प्रयास है। इसके अंतर्गत रामगढ़ और महलपुर बैराज, 425 क्यूसेक क्षमता वाला पंपिंग स्टेशन तथा चंबल नदी पर कोटा-बूंदी के बीच लगभग 2.28 किलोमीटर लंबा जलसेतु शामिल है। यह जलसेतु देश के सबसे बड़े एक्वाडक्ट संरचनाओं में से एक होने का दावा किया जा रहा है। परियोजना के पूर्ण होने पर कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज से जल को मेर नदी में छोड़ा जाएगा, फिर वहाँ से फीडर प्रणाली के माध्यम से गलावा बांध, बीसलपुर और ईसरदा बांध तक पानी पहुँचाया जाएगा।

यह परियोजना लगभग 92 हजार करोड़ रुपये की लागत से बन रही है और इसका लक्ष्य 2028 तक पूर्ण करना है। इससे लगभग 4 लाख 98 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। अजमेर, भरतपुर, जयपुर और अलवर जैसे जिलों को पेयजल, सिंचाई तथा औद्योगिक जल की दृष्टि से लाभ मिलेगा। यदि यह परियोजना समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरी हो सके, तो पूर्वी राजस्थान की आर्थिक संरचना बदल सकती है। किसानों को सिंचाई की सुरक्षा मिलेगी, उद्योगों को जल की निश्चितता मिलेगी और शहरों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी।

राजस्थान के लिए यमुना जल समझौता भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस समझौते के तहत लगभग 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से 1,917 क्यूसेक यमुना जल शेखावाटी क्षेत्र तक पहुँचाया जाना है। इससे सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों के लगभग 75 लाख लोगों को स्थायी पेयजल की राहत मिलेगी। शेखावाटी क्षेत्र दशकों से भूजल के गिरते स्तर, खारे पानी और गहरे बोरवेलों की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में यमुना जल का आमाम केवल जलापूर्ति नहीं, बल्कि उस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए नई उम्मीद है।

पेयजल परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं और बच्चों को मिलता है। ग्रामीण राजस्थान में अभी भी कई स्थानों पर महिलाएँ किलोमीटरों दूर से पानी भरकर लाती हैं। इससे उनका समय, शरीरिक श्रम और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। जब घर तक नल जल पहुँचेगा, तो महिलाएँ शिक्षा, आजीवनिका, स्वयं सहायता समूहों और पारिवारिक विकास में अधिक समय दे सकेंगीं। इसीलिए जल परियोजनाएँ सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ी हैं। जल उपलब्धता बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारती है, स्वच्छता को बढ़ाती है और जलजनित बीमारियों को कम करती है।

बड़ी नदी-जोड़ परियोजनाओं के साथ-साथ राजस्थान को जल संरक्षण पर भी विशेष बल देना होगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की न्यूनतम आवश्यकता पूरी करना, जल उपलब्धता बढ़ाना और सूखे के दौरान जल को संभरना है।

राजस्थान सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित लगभग एक लाख करोड़ रुपये के कार्यों में से लगभग 41 हजार करोड़ रुपये के कार्य शुरू कर दिए हैं। यह प्रगति प्रोत्साहनजनक है, क्योंकि बड़ी परियोजनाओं में सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और निर्माण की गति होती है।

गाँव स्तर पर वर्षा जल को रोका और संचित किया जाए, तो भूजल रिचार्ज बढ़ेगा, कुओं और बोरवेलों में पानी बढ़ेगा तथा सूखे का प्रभाव कम होगा। जल संरक्षण को सरकारी योजना से आगे बढ़ाकर जन आंदोलन बनाना ही राजस्थान की असली जल सुरक्षा का रास्ता है।

अटल भूजल योजना भी राजस्थान की जल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में भूजल का अत्यधिक दोहन एक गंभीर समस्या है। कई जिलों में भूजल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि किसानों को गहरे बोरवेल खुदवाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है और भूजल की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। ऐसे में भूजल रिचार्ज, वर्षा जल संचयन, टपक सिंचाई और जल प्रबंधन की जागरूकता अनिवार्य है। जल बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है; किसान, उद्योगपति, नगर निगम, पंचायत और आम नागरिक सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी।

कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसलिए जल समृद्धि के लिए सिंचाई तकनीक को बदलना आवश्यक है। पारंपरिक बाढ़ सिंचाई के स्थान पर टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए। टपक सिंचाई से पानी को खपत कम होती है और फसल को आवश्यक मात्रा में नमी मिलती है। इससे कम पानी में अधिक उत्पादन संभव होता है। सरकार को किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए अनुदान, तकनीकी प्रशिक्षण तथा रखरखाव सहायता देनी चाहिए। साथ ही कम पानी में उगने वाली फसलों को प्रोत्साहन देना भी आवश्यक है।

नर्मदा नहर परियोजना, पलवन परियोजना, धौलपुर लिफ्ट, उच्च स्तरीय नहर-माही, पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर और कालीतीर लिफ्ट जैसी बड़ी परियोजनाएँ भी राजस्थान के जल विकास के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये परियोजनाएँ जालोर, बाडमेर, झालावाड़ और धौलपुर जैसे क्षेत्रों में सिंचाई तथा पेयजल की समस्या को कम करने की दिशा में काम कर रही हैं। इन परियोजनाओं का लाभ सभी सार्थक होगा, जब उनका निर्माण समय पर हो, भ्रष्टाचार न हो, भूमि अधिग्रहण में प्रभावित परिवारों को उचित पुनर्वास मिले और जल वितरण में पारदर्शिता रहे।

जल परियोजनाओं की सफलता केवल निर्माण तक सीमित नहीं है। उनका रखरखाव, नियमित निरीक्षण, जल गुणवत्ता की जाँच और स्थानीय जनता की भागीदारी भी उत्तनी ही आवश्यक है। कई बार तालाब बन जाते हैं, पर उनकी सफाई नहीं होती; पाइपलाइन बिछ जाती हैं, पर रिसाव नियंत्रित नहीं होता; नहर बन जाती हैं, पर अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँचता। इसलिए जल प्रबंधन में ग्राम पंचायतों, जल उपयोगकर्ता संघों और स्थानीय समितियों की भूमिका मजबूत करनी चाहिए। जनता की निगरानी ही परियोजनाओं की गुणवत्ता की सबसे बड़ी गारंटी है।

राजस्थान सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित लगभग एक लाख करोड़ रुपये के कार्यों में से लगभग 41 हजार करोड़ रुपये के कार्य शुरू कर दिए हैं। यह प्रगति प्रोत्साहनजनक है, क्योंकि बड़ी परियोजनाओं में सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और निर्माण की गति होती है। सरकार को चाहिए कि वह इन परियोजनाओं की समयबद्ध समीक्षा करे और जनता को नियमित रूप से प्रगति की जानकारी दे। पारदर्शिता से जनविश्वास बढ़ेगा और परियोजनाओं में विलंब कम होगा।

जल समृद्धि से राजस्थान की समृद्धि का संबंध सीधा है। जब सिंचाई बढ़ेगी, तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा। कृषि उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। पेयजल उपलब्ध होने से स्वास्थ्य सुधरेगा और पलायन कम होगा। औद्योगिक जल उपलब्ध होने से निवेश बढ़ेगा, उद्योग स्थापित होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार है।

फिर भी, यह भी स्पष्ट है कि बड़ी परियोजनाएँ अकेले समाधान नहीं हैं। राजस्थान को जल के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। हर घर में वर्षा जल संचयन, हर स्कूल और सरकारी भवन में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर गाँव में तालाबों का पुनरुद्धार और हर किसान के खेत में जल-कुशल सिंचाई आवश्यक है। शहरों में अपशिष्ट जल शोधन और पुन: उपयोग को बढ़ावा देना होगा। उद्योगों को जल पुनर्चक्रण अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। जब तक जल बचाने की संस्कृति विकसित नहीं होगी, तब तक बड़ी परियोजनाएँ भी पूर्ण समाधान नहीं बन पाएँगीं।

राजस्थान की जल परियोजनाएँ राज्य के लिए आशा की किरण हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना पूर्वी राजस्थान को जल ग्रिड से जोड़ रही है, यमुना जल समझौता शेखावाटी के सूखे क्षेत्रों को राहत दे रहा है, और जल स्वावलंबन अभियान गाँवों में आत्मनिर्भरता की नींव बना रहा है। यदि इन परियोजनाओं को समय पर, पारदर्शी ढंग से और जनभागीदारी के साथ पूरा किया जाए, तो राजस्थान आने वाले वर्षों में जल संकट से निकलकर जल समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। जल बचेगा, तो खेती बचेगी; खेती बचेगी, तो गाँव बचेगा; और गाँव बचेगा, तो राजस्थान सचमुच समृद्ध बनेगा।

—**अतिथि संपादक,**
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

राजकीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और अनुशासन: गुणवत्ता की पहली शर्त है मुख्य द्वार की मर्यादा



प्रोफेसर अशोक कुमार

किसी भी शिक्षण संस्थान की सबसे पहली पहचान, उसकी गरिमा और उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता का पहला पैमाना उस संस्थान के मुख्य द्वार से तय होता है। परिसर में प्रवेश की मर्यादा यह दर्शाती है कि वह स्थान विद्या का पावन मंदिर है या फिर बिना किसी जवाबदेही वाला खुला मैदान। एक कड़वी मगर वास्तविक सच्चाई यह है कि निजी शिक्षण संस्थान-चाहे वे विद्यालय हों, महाविद्यालय हों, विश्वविद्यालय हों या फिर आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान-अपनी चारदीवारी और प्रवेश द्वारों को लेकर अत्यंत सजग रहते हैं।

वहां किसी का भी प्रवेश असौमित या अनियंत्रित नहीं होता। केवल वेही विद्यार्थी, प्राध्यापक अथवा कर्मचारी अंदर कदम रख सकता है जिसका संस्थान से वैध संबंध हो। यदि किसी बाहरी व्यक्ति या अभिभावक को जाना भी हो, तो विधिवत स्वागत कक्ष (रिसेप्शन) पर पहचान पत्र दर्ज करना पड़ता है, अनुमति लेनी होती है, और प्रवेश रजिस्टर में नाम दर्ज करना होता है। समाज का कोई भी वर्ग इस व्यवस्था का न तो विरोध करता है और न ही इसे नागरिक अधिकारों का हनन मानता है। सब इसे अनुशासन, सुरक्षा और गुणवत्ता का स्वाभाविक मानक मानते हैं।

इसके विपरीत, जब हम अपने राजकीय शिक्षण संस्थानों की ओर देखते हैं-चाहे वह प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय हों, राजकीय महाविद्यालय हों या प्रांतीय विश्वविद्यालय-तो स्थिति पूरी तरह उलट नजर आती है। राजकीय परिसर

मानों ‘सार्वजनिक संपत्ति’ के नाम पर लावारिस मान लिए गए हैं। अधिकांश राजकीय संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करने का कोई ठोस तंत्र ही नहीं है। यदि कोई प्रधानाचार्य या कुलपति अनुशासन की दृष्टि से मुख्य द्वार पर रोक-टोक लगाने या परिचय पत्र अनिवार्य करने का प्रयास करे, तो एक अजीब किस्म का आक्रोश, प्रतिरोध और राजनीतिक विरोध शुरू हो जाता है।

हाल ही में जब राजस्थान में राजकीय विद्यालयों में बाहरी तत्वों के अनियंत्रित प्रवेश को रोकने और बिना अनुमति किसी के भी परिसर में आने पर पाबंदी का आदेश जारी हुआ, तो इस पर अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया। सवाल यह उठता है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल भेजते समय सुरक्षा गार्ड की सघन तलाशी और आगंतुक पास की प्रक्रिया को गर्व से स्वीकार करते हैं, वही लोग राजकीय विद्यालयों में ऐसे नियमों को शक या तानाशाही के चरम से क्यों देखने लगते हैं? निजी परिसर में जो अनुशासन सुरक्षा कहलाता है, वही अनुशासन सरकारी संस्थान में अधिकारों का हनन क्यों मान लिया जाता है?

अनियंत्रित प्रवेश: विकृतियों की खुली छूट -राजकीय संस्थानों में प्रवेश नियंत्रण के अभाव ने उच्च शिक्षा और स्कूली व्यवस्था को भीतर से खोखला कर दिया है। आज देश के अधिकांश सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के परिसर सुबह और शाम टहलने वालों (मॉर्निंग वॉंकर), कुत्तों को घुमाने वालों और स्थानीय मोहल्ले के लोगों के विश्राम स्थल में तब्दील हो चुके हैं। सार्वजनिक उद्यान और शिक्षण संस्थान के बुनियादी अंतर को भुला दिया गया है।

इससे भी अधिक गंभीर स्थिति दोपहर के समय देखने को मिलती है। जब कक्षाएं चलनी चाहिए, तब परिसरों में बाहरी असामाजिक तत्वों, निष्कासित छात्रों और राजनीतिक गुटों से जुड़े युवाओं का बेरोक-टोक जमावड़ा रहता है। ये तत्व न तो किसी पाठ्यक्रम में नामांकित होते हैं और न ही इनका कोई

परिणामस्वरूप, जो समय शोध, संवाद, पुस्तकालय और बौद्धिक विमर्श में लगना चाहिए, वह पुलिस बुलाने, धरने-प्रदर्शनों को शांत कराने और कानून-व्यवस्था संभालने में नष्ट हो जाता है। सामान्य और अध्ययनशील छात्र भय के साए में जीता है, जबकि सक्षम अभिभावक ऐसे अराजक माहौल को देखकर अपने बच्चों को सरकारी संस्थानों से निकालकर निजी संस्थानों की ओर ले जाने को मजबूर होते हैं।

सार्वजनिक संपत्ति बनाम मुक्त चारागाह: सोच का संकट -इस समस्या की जड़ हमारे नागरिक बोध और राजनीतिक दृष्टिकोण के एक गहरे भटकाव में छिपी है। हमारे समाज में सार्वजनिक (पब्लिक) शब्द का अर्थ गलत तरीके से बिना रोक-टोक का समझ लिया गया है। अस्पताल, न्यायालय, रेलवे स्टेशन और शिक्षण संस्थान-सभी सार्वजनिक उपक्रम हैं, लेकिन क्या सुरक्षा और कार्य-प्रणाली के नियमों के बिना इनमें से कोई भी संस्थान चल सकता है?

न्यायालय के भीतर कोई भी व्यक्ति बिना कारण या प्रक्रिया के प्रवेश नहीं कर सकता। हवाई अड्डे या सैन्य क्षेत्र में सार्वजनिक धन लगा है, परंतु वहां सुरक्षा नियम सर्वोपरि हैं। फिर शिक्षण संस्थान, जहां राष्ट्र भावी पीढ़ी काढ़ी जा रही है, वहां यह छूट क्यों कि कोई भी जल चाहे, जैसे चाहे, अंदर घुस आए?

राजनीतिक दलों की संकीर्ण मानसिकता भी इसमें बड़ी बाधा है।छात्र राजनीति को मुख्यधारा की राजनीति की नर्सरी माना गया था, लेकिन व्यवहार में यह कई जगह स्थानीय बाहुबल और उपद्रव का अड्डा बन गई है। जस भी कोई प्रशासन गेट पर बायोमेट्रिक, परिचय पत्र या सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करता

है, तो छात्र संगठन इसे ‘लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला’ बताकर आंदोलन छेड़ देते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी वोट बैंक और युवा कार्यकर्ताओं को खुश रखने के चक्कर में व्यवस्था सुधार के हर कदम का विरोध करती हैं। कोई भी दल इस दूरदर्शिता के साथ नहीं सोचता कि यदि संस्थान का माहौल ही सुरक्षित नहीं रहा, तो वहां से निकलने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा।

प्रवेश नियंत्रण से शैक्षणिक माहौल में आमूलचूल बदलाव -यह एक अकाट्यय सत्य है कि जिस दिन किसी शिक्षण संस्थान की देहरी पर अनुशासन का पहरा बैठ जाता है, उस दिन से उस संस्थान की आंतरिक व्यवस्थाएं स्वतः सुधरने लगती हैं:—

छात्राओं की निर्भय भागीदारी: छात्राओं के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता सुस्थित वातावरण है। जब गेट पर हर आने-जाने वाले का विवरण दर्ज होगा और अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश बंद होगा, तो छात्राएं बिना किसी झिझक या डर के पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल मैदानों का उपयोग कर सकेंगीं।

शिक्षकों की गरिमा और सुरक्षा: कक्षाओं में घुसकर शिक्षकों से बदसलूकी करने या परीक्षा केंद्रों पर नकल माफियाओं के दबाव बनाने की घटनाएं तभी संभव होती हैं जब कैपस खुला हो। नियंत्रित प्रवेश शिक्षकों को एक निर्भीक और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करता है।

संसाधनों का समुचित उपयोग: सरकारी प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान और पुस्तकालय जनता के करों से बनते हैं। यदि बाहरी लोग इनका दुरुपयोग करेंगे, तो पंजीकृत विद्यार्थी इससे वंचित रह जाएंगे। नियंत्रण से इन संसाधनों की उन्न और उपयोगिता दोनों बढ़ती हैं।

संस्थान के प्रति जिम्मेदारी का भाव: जब छात्र गेट में परिचय पत्र डालकर और एक व्यवस्थित प्रक्रिया से परिसर में प्रवेश करता है, तो उसके भीतर संस्थान के प्रति एक अपनत्व और अनुशासन की मनोवैज्ञानिक भावना जाग्रत होती है।

समाधान: **नीतिगत**

मतदाता सूची की शुद्धता: लोकतंत्र की पहली शर्त

लोकतंत्र की मजबूती का वास्तविक पैमाना यही है कि हर पात्र नागरिक का नाम सूची में हो, प्रत्येक प्रविष्टि की विश्वसनीयता बनी रहे और शिकायत का समाधान निष्पक्ष तरीके से हो



प्रमोद वशिष्ठ

लोकतंत्र में सरकार जनता के मत से बनती है, लेकिन उस मत की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का काम मतदान से पहले शुरू हो जाता है। सबसे पहले यह तय होना चाहिए कि मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम सही ढंग से दर्ज हों, मूल व्यक्तियों के नामों का समय पर निराकरण हो, एक ही व्यक्ति का नाम अनावश्यक रूप से एक से अधिक स्थानों पर दर्ज न रहे। इसके साथ ही जरूरी है कि कोई इन अशुद्धियों का लाभ उठाकर फर्जी मतदान कर सके या कोई विदेशी घुसपैठियां अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाकर देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सके। चुनाव की निष्पक्षता पर होने वाली

चर्चा में इस बुनियादी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह काम आसान नहीं है। करोड़ों मतदाताओं, लगातार बदलते पते, रोजगार के लिए होने वाले पलायन और अलग-अलग क्षेत्रों की प्रशासनिक चुनौतियों के बीच मतदाता सूची को अद्यतन रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसी संदर्भ में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की आवश्यकता और उसके तरीके पर चर्चा हो रही है।

सूची की शुद्धता और मताधिकार, दोनों जरूरी -मतदाता सूची में मृत व्यक्ति का नाम बने रहना, एक ही मतदाता को दोहरी प्रविष्टि या स्थायी रूप से स्थान बदल चुके व्यक्ति का पुराना विवरण अद्यतन न होना वास्तविक प्रशासनिक समस्याएं हैं। इनका समाधान आवश्यक है। लेकिन सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक का नाम छूट जाए, तो वह भी उत्तनी ही गंभीर समस्या है। हाल ही में हुए एसआईआर में ना केवल सरकारी कर्मिकों, शिक्षकों ने बतौर बृथ लेबल अधिकारों के रूप में और सभी राजनैतिक दलों की ओर से नियुक्त बृथ लेबल पदाधिकारियों ने महीनों के परिश्रम से, अनेक माध्यमों

से अवसर देने और अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, ताकि पात्र लोग मताधिकार से वंचित ना हो, ना कोई अयोग्य व्यक्ति इसका फायदा उठा सके। लोकातांत्रिक व्यवस्था की सफलता इसी संतुलन में है-अपात्र प्रविष्टियां बनी न रहें और पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न हों। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जहां चुनाव आयोग मतदाता सूची की जांच और उसे अद्यतन करने की जरूरत पर जोर देता है, वहीं विपक्ष के कुछ दल प्रक्रिया, पारदर्शिता और नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इन सवालों का उत्तर केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि रिकॉर्ड, निर्धारित प्रक्रिया और शिकायतों के निष्पक्ष निस्तारण से मिलना चाहिए।

किसी प्रक्रिया का विरोध करना अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है। पर दशकों तक देश के सत्ता सिंहासन पर बैठकर लोकतंत्र में भी अपने आपको राजा समझने और उसी के अनुकरण के लिए सत्ता को नेता प्रतिपक्ष आदत बनी हुई है, उनको ऐसा लगता है तो बस पूरे देश को लगाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मई 2026 को बिहार में एसआईआर से

संबंधित मामलों में अपना निर्णय दिया। यह न्यायिक निर्णय इस विषय पर चर्चा का महत्वपूर्ण संदर्भ है।

नागरिक की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? - मतदाता सूची की जिम्मेदारी केवल चुनाव आयोग या प्रशासन की नहीं है। नागरिकों की जागरूकता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक मतदाता को समय-समय पर अपना नाम, पता और मतदान केंद्र की जानकारी जांचनी चाहिए। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने, निवास बदलने या विवरण में त्रुटि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूचना देनी चाहिए।

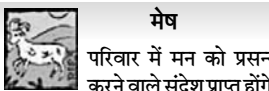
इसी प्रकार, यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं मिलता, तो उसे यह मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि अब मतदान का अधिकार समाप्त हो गया। उसे संबंधित निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करना चाहिए और लागू नियमों के अनुसार नाम दर्ज कराने, सुधार कराने या अपील करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। चुनाव आयोग का मतदाता सेवा पोर्टल नाम की जांच, आवेदन और शिकायत जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

राजनीतिक दलों के बृथ स्तर के प्रतिनिधि भी इस काम में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। वे वास्तविक

त्रुटियों की पहचान करें, पात्र नागरिकों के नाम जुड़वाने में मदद करें और यदि किसी निर्णय पर आपत्ति हो तो उपलब्ध वैधानिक उपाय अपनाएं। इससे बहस का केंद्र केवल आरोप लगाने के बजाय समस्या के समाधान पर आ सकता है। अंततः मतदाता सूची किसी सरकार या राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का साझा आधार है। इसकी शुद्धता से सभी दलों और सभी नागरिकों का हित जुड़ा है। इसलिए इसका पुनरीक्षण न तो केवल प्रशासनिक औपचारिकता समझा जाना चाहिए और न ही हर कदम को राजनीतिक चरम से देखा जाना चाहिए।

लोकतंत्र की मजबूती का वास्तविक पैमाना यही है कि हर पात्र नागरिक का नाम सूची में हो, प्रत्येक प्रविष्टि की विश्वसनीयता बनी रहे और किसी शिकायत का समाधान निष्पक्ष तरीके से किया जाए। मतदाता सूची जितनी सही होगी, जनादेश पर जनता का भरोसा उतना ही मजबूत करने का अवसर मिलेगा। यही चुनावी व्यवस्था की पहली शर्त और लोकतंत्र के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी है।

—**प्रमोद वशिष्ठ,**
प्रदेश प्रभारी मीडिया विभाग, भाजपा



मेष

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। घर-

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।



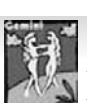
वृष

आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनें लगेंगे।

अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक

कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नवीन

कार्य व्योम का क्रियाव्यवन होतें।



मिथुन

व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों

का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण

कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आज

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।



कर्क

घर-गृहस्थी के खर्चों में

अनावश्यक वृद्धि हो सकती

है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़

रहेगी। समय अनर्गल कार्यों में खराब

होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रहे।



सिंह

आर्थिक मामलों में संतुलन

बना रहेगा। आय-व्यय में

समानता बनी रहेगी। व्यावसायिक

प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।



कन्या

नवीन कार्यों के संबंध में

सकारात्मक आश्वासन

प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनें लगेंगे।

परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



तुला

व्यावसायिक परेशानियां दूर

होने लगेंगी। व्यावसायिक

कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन

प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

आय में वृद्धि होगी।



वृश्चिक

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ

नहीं है। घर कार्यों में

व्ययधान हो सकता है। आज बनते कार्य

विगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब